क्रमांक-106

संख्याः- 277/III(1)/15-13(सामान्य)/2006

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 03 मार्च ~~फरवरी~~, 2015

विषयः- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फील्ड कर्मचारियों को अमीन के कार्य का प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि विभाग में कार्यरत फील्ड स्तर के कर्मचारियों, जिनके द्वारा वर्ष 2008 में राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान, अल्मोडा से अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, को अमीन के पद पर संविलियन किये जाने हेतु **"उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर संविलियन नियमावली 2014"** निर्गत कर दी गई है। **(प्रति संलग्न)**

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार अमीन के प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों का तत्काल अमीन के पद पर संविलियन कर दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि विभाग में कार्य की अधिकता एवं अमीनों की कमी होने के फलस्वरूप भूमि अद्याप्ति, वन भूमि स्थानान्तरण, क्षतिपूर्ति एवं अतिक्रमण हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति समय पर पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है। अतः लोक निर्माण विभाग के फील्ड स्तर के ऐसे कार्मिक जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों तथा अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों को राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान, अल्मोडा से प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु नाम/प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

HOD
04/03/15
EE(HQ)
285
I.T For Uploading.
19.9.17
116
7/3/15

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या– 278/III(1)/15–13(सामान्य)/06
देहरादून 03 मार्च, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर संविलियन नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर संविलियन नियमावली, 2014' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली लोक निर्माण विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर संविलियन हेतु लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव होगा।

परिभाषाए

3. जब तक किसी विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो:–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से सेवा नियमों के अधीन लोक निर्माण विभाग में अमीन अथवा उसके समकक्षीय पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) **"उपलब्ध रिक्ति"** से ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है, जो संविलियन की तारीख को अमीन संवर्ग में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त हों;

(ग) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(घ) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ड) **"लोक निर्माण विभाग"** से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है;

(च) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ न हो, नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हों।

संविलियन हेतु पात्रता एवं संविलियन के अवसर

4. (1) लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मेट, बेलदार, वर्क ऐजेन्ट, चौकीदार, हैल्पर, अनुसेवक, आपरेटर, नील मुद्रक एवं वर्कमुन्शी, जो नियमानुसार चयनित एवं कार्यरत हैं तथा जिनके द्वारा राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा से अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत संविलियन हेतु पात्र होंगे।

(2) उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन के उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष संविलियन केवल एक बार के लिए किया जायेगा।

शैक्षिक अर्हता

5. संविलियनित होने वाले कार्मिक की शैक्षिक अर्हता न्यूनतम हाईस्कूल होनी चाहिए। ऐतद्विषयक प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी।

आरक्षण

6. संविलियन करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

संविलियन की शर्तों का निर्धारण

7. (1) लोक निर्माण विभाग में अमीन के पद पर संविलियन के आदेश में इंगित तारीख सम्बन्धित कार्मिक की लोक निर्माण विभाग में अमीन के पद पर मौलिक नियुक्ति की तारीख मानी जायेगी तथा उस तारीख के उपरान्त सम्बन्धित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामले सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत व्यवहृत होंगे।

(2) संविलियन के पश्चात् सम्बन्धित अमीनों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण संविलियन से पूर्व धारित नियमित पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जायेगा और यदि दो कार्मिकों की पूर्व धारित नियमित पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि समान हो, तो जिस कार्मिक की आयु अधिक हो, उसे पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण में पहले स्थान दिया जायेगा।

(3) संविलियनित होने वाले अमीन के पूर्व सेवाकाल के अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश की गणना संविलियन के पद पर अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश के साथ जोड़कर की जायेगी।

(4) संविलियनित होने वाले अमीन के जी०पी०एफ० की राशि उनके भविष्य निधि लेखे में अन्तरित होगी। जी०पी०एफ० से अग्रिम की माँग पर पूर्व में जमा अवशेष के आधार पर गणना की जायेगी। पूर्व में लिए गए अस्थायी/स्थायी अग्रिम की कटौतियाँ/समायोजन पूर्व की भाँति निर्धारित शर्तों पर की जायेगी।

(5) प्रत्येक संविलियनित अमीन संविलियन के आदेश की तारीख से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परीवीक्षा में रहेंगे तथा परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर ही उनका स्थायीकरण किया जायेगा। यदि कोई अमीन स्थायीकरण हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ा सकता है।

संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति समझा जाना

8. इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियां सम्बन्धित कार्मिकों को लोक निर्माण विभाग में अमीन पद नाम तथा तद्नुसार वेतनमान दिये जाने की तारीख से संगत सेवा नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी।

प्रत्यावर्तन

9. संविलियनित होने वाले अमीन से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलियन हेतु सहमत है अथवा नहीं? यदि कोई कार्मिक परिवीक्षा काल के दौरान अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होना चाहे तो ऐतद्विषयक विकल्प संविलियन की तारीख से परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तक की अवधि में उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार प्रत्यावर्तित होने वाला कार्मिक किसी प्रकार के प्रतिकर आदि का हकदार नहीं होगा।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव